संख्या-8/2015/76/78-2-2015-121आई.टी./2013

प्रेषक,

जी.एस. प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 28 जनवरी, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों की इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा रही सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं का ई-ताल पोर्टल में इन्टीग्रेशन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1222/78-2-2014-121आई.टी./2013 दिनांक 20.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपेक्षा की गयी थी कि आप अपने विभाग में आम जनमानस को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं का इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के पोर्टल (http://etaal.gov.in) पर उक्त सेवाओं में हो रहे ट्रांजेक्शन का एकीकरण कराया जायें।

2. अवगत कराना है कि अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि योजना की समीक्षा सर्वोच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं की जा रही है। तत्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि एकीकरण कराने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में यह कार्य स्वत: होता रहे इस हेतु आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने विभाग में वेबसाइट/एप्लीकेशन (जो कि आम जन मानस से सीधे रूप से जुडे है) उनके विकास हेतु भविष्य में विभाग द्वारा जारी की जाने वाली समस्त निविदाओं में वेबसाइट/एप्लीकेशन का एकीकरण ई-ताल पोर्टल से किया जाना अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाये, जिससे ई-ताल पोर्टल पर Realtime basis पर स्वत: transaction count अपडेट होता रहें।

भवदीय,

(जी.एस. प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

संख्या: 8/2015/76(1)/78-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. एस.आई.ओ. एन.आई.सी., योजना भवन को इस आशय से प्रेषित कि एन.आई.सी. द्वारा क्रियान्वित/रख-रखाव की जा रही योजनाओं का एकीकरण तत्काल सुनिश्चित किया जा सके।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in